



e-SAMBANDHAN

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation



YOUR APPLICATION NO :

-220127020211125191208-2025-2026

Welcome : 20211125191208-2025-2026 [[Log Out](#)]

*Download and
Print Application
Form*

**Status Of
Application**

**Resolve By Block (BEO)
and send to District(DEO)
School Data verified and
Recommended to QR code
Regarding RTE**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|----|-----|-------------|---------|-----|
| AJAY KUMAR SHARMA | RAM CHANDRA SHARMA | 25 Feb 1990 | POST GRADUATION | B.ED. | 13 | 6-8 | 01 Apr 2018 | Trained | Yes |
| GHAZALA PERWEEN | MD MOBIN AKHTAR | 31 Dec 1982 | POST GRADUATION | B.ED. | 12 | 6-8 | 01 May 2016 | Trained | No |
| CHANDRA BHUSHAN SINGH | MAHADEV SINGH | 15 Dec 1979 | POST GRADUATION | B.ED. | 11 | 6-8 | 08 Jul 2023 | Trained | No |
| AMRITA SINGH | SUMIT KUMAR | 20 Apr 1990 | Graduation | B.ED. | 2 | 6-8 | 06 May 2024 | Trained | No |
| KUSUM YADAV | UGRASEN YADAV | 26 Apr 1989 | POST GRADUATION | B.ED. | 12 | 1-5 | 08 Jul 2023 | Trained | No |
| MAYANK KUMAR | JANARDAN PRASAD SINGH | 30 Jun 1987 | Graduation | D.EL.ED. | 6 | 6-8 | 01 Dec 2023 | Trained | No |
| RAHUL KUMAR | BIRENDRA KUMAR GUPTA | 29 Mar 1997 | POST GRADUATION | B.ED. | 3 | 6-8 | 06 May 2024 | Trained | No |
| MANISHA KUMARI | ALOK KUMAR | 24 Jun 1974 | Graduation | B.LIS. | 2 | 6-8 | 06 May 2024 | Trained | No |
| RAVI SHANKAR PRASAD | BALESHWAR PRASAD | 07 Mar 1982 | POST GRADUATION | B.ED. | 10 | 1-5 | 01 Apr 2018 | Trained | No |
| KUMARI RIJA SINHA | RAJDEO SINGH | 03 Dec 1982 | Graduation | D.ED.-SE-MR | 8 | 1-5 | 01 Apr 2018 | Trained | No |
| RINKI SINHA | ABHAY KUMAR | 01 Dec 1984 | Graduation | B.ED. | 2 | 1-5 | 01 Apr 2025 | Trained | No |
| SADHANA KUMARI | RAGHUPATI SHARMA | 18 Dec 1980 | Graduation | B.ED. | 10 | 1-5 | 01 May 2016 | Trained | No |
| SONY RAMBABU SHAH | RAVI SHANKAR GUPTA | 12 Jun 1985 | Inter | MS-CIT | 10 | 1-5 | 06 May 2024 | Trained | No |
| CHANDAN KUMAR | AMAR NATH ROY | 15 Jan 1998 | Inter | D.EL.ED. | 4 | 1-5 | 17 Oct 2022 | Trained | No |
| LALAN PANDIT | MAHESH PANDIT | 07 Mar 1974 | Graduation | B.ED. | 10 | 1-5 | 01 Sep 2025 | Trained | No |
| KAMLESH KUMAR | BHUDEO PRASAD | 08 May 1966 | POST GRADUATION | D,PH.ED. | 10 | 6-8 | 01 May 2021 | Trained | No |
| SANJEEV KUMAR | JAY GOVIND SINGH | 13 Dec 1985 | Graduation | DOECC | 10 | 1-5 | 06 May 2024 | Trained | No |
| PRABHAT KUMAR | SHATRUGHAN PRASAD SINGH | 05 May 1973 | Graduation | D.EL.ED. | 6 | 1-5 | 17 Oct 2022 | Trained | No |

| | | |
|------|---|--------------------|
| (झ.) | पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :- | |
| 1 | पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है (वर्ग 8 तक) | NCERT, CBSE, SCERT |
| 2 | छात्रों के आकलन की पद्धति | EXAMINATION |
| 3 | क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है | No |
| ट. | प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डाएस) में भी समर्पित किया गया है। | |

| | |
|----|--|
| ठ. | प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है। |
| ड. | प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग, द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले प्रतिवेदन और सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उनका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा। |
| ढ. | प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अभिलेख जैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा जिससे केन्द्र स्थायी निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/ पंचायत /नगर निगम (जो लागू हो) के प्रति जबाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा। |



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | VAISHALI
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0
शिक्षा केंद्र - 2 कामपुनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपबिधय के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महाराज,

आपके आर्टिकल पत्र दिनांक 25-11-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ST MICHAEL'S SCHOOL, BUDHA VIHAR MATHURAPURGANJ, LALGANJ, 844121. कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 25-11-2021 से 25-11-2024 आदि के लिए औपचारिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न बातों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। बड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय असंग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चों के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारकों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में बिकल्प / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।

1. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निर्देशन के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(I) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 6636.84

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 6636.84

(III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- DRINKING, BATHING, PLAYGROUND, PARKING

(IV) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 19

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 3

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग सौदास्य :- Indian , Boys :- 12 , Girls 8

(VII) पेयजल की सुविधा :- 12

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच () :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री। खेल-कुद उपकरण/पुस्तकत्व पुस्तकालय :- BLACK BOARD, WHITE BOARD, SMART BOARD, SMART CLASS, GLOBE, CHAR PAPER, CHALK, DUSTER, MARKER, SCIENCE LAB EQ, MATH LAB EQ, COMPUTER, NOTICE BOARD, etc. . FOOTBALL, BAT, BALL, BADMINTON, CAROM BOARD, VOLLYBALL, LUDO, CHESS, SKIPPING ROPE, RING, DISCUS THROW etc. . (Y , 597 , NewsPaper MagaZine:- 19)

11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विलस के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संबन्धित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. सेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त सेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आबंटित प्रसवीकृति कोड संख्या [220127020211125191209, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पचापार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय -माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रसवीकृति की वार्डों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संघातन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर विरंगत अनुदेशों का अनुपातन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य वार्डों

Handwritten signature

09-03-2022
विद्यालय
जिला कार्यालय पदाधिकारी
जिला कार्यालय पदाधिकारी
संयुक्त शिक्षा विभाग
सह-सचिव प्रसवीकृत समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार